बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
आदेश

सं०सं०–15/औ०–02–मुक०–17/2023–...../स्वा० पटना, दिनांक –.....2026

श्री अवधेश कुमार सिंह, तत्कालीन औषधि निरीक्षक, दरभंगा–01 एवं 02 सम्प्रति सेवा से बर्खास्त के द्वारा ''वादी को अकारण प्रताडित करने के संबंध में अखबार में सूचना प्रकाशित करने के संबंध में'' दिनांक–09.06.2026 को विभाग मे आवेदन समर्पित किया गया है।

2. श्री अवधेश कुमार सिंह ने आवेदन पत्र में लिखा है कि निगरानी विभाग द्वारा जबरन बिना किसी आधार के वादी के विरूद्ध निगरानी थाना कांड संख्या–038/2006 दिनांक–13.07.2006 दायर किया गया है, जिसमें माननीय निगरानी न्यायालय द्वारा मामले के सम्पूर्ण परीक्षण के पश्चात् वादी को दोषमुक्त किया जा चुका है। वादी की सेवा सम्पुष्टि विलम्ब से करने, प्रोन्नति नहीं दिये जाने के कारण समाज में यह संदेश गया कि वादी किसी गंभीर अपराध में संलिप्त रहा है। इससे वादी एवं वादी के पूरे परिवार की प्रतिष्ठा का हनन हुआ है एवं हो रहा है। श्री सिह द्वारा उल्लेख किया गया है कि इन सभी मामले में वादी निर्दोष सिद्ध हो चुका है। अतएव इस आशय की सूचना सभी प्रमुख अखबारों में प्रकाशित किये जाने का अनुरोध किया गया है ताकि वादी एवं वादी के परिवार का अग्रतर प्रतिष्ठा हनन रूक सके। साथ हीं प्रकाशित अखबार की प्रति वादी को भी उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है।

3 उल्लेखनीय है कि श्री अवधेश कुमार सिंह, तत्कालीन औषधि निरीक्षक, दरभंगा–01 एवं 02 को निगरानी धावादल द्वारा 60,000/–रू० लेने के आरोप मे गिरफ्तार कर निगरानी थाना कांड संख्या–051/2018 दिनांक–28.11.2018 धारा–7(a) भ्र०नि०अधि० 1988 (सशोधित अधिनियम 2018) दर्ज किया गया।

4. उक्त आरोप में विभागीय कार्यवाही संचालित कर विधिवत् श्री सिंह को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देते हुए विभागीय संकल्प संख्या–1767(15), दिनांक–29 12.2021 द्वारा सेवा से बर्खास्तगी का दंड संसूचित किया गया है।

5 पुनः उल्लेखनीय है कि विभागीय पत्रांक–723(15ए), दिनांक–23.07.2026 द्वारा निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना से निगरानी थाना काड संख्या–51/2018 के प्राथमिकी अभियुक्त श्री अवधेश कुमार सिंह, तत्कालीन औषधि निरीक्षक सम्प्रति सेवा से बर्खास्त के विरूद्ध दर्ज वाद की अद्यतन स्थिति से अवगत कराने हेतु अनुरोध किया गया। तदालोक मे निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना के पत्रांक–11271, दिनांक–20 08 2026 द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त वाद साक्ष्य पर लंबित है।

6. उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री अवधेश कुमार सिह, दरभंगा–01 एव 02 सेवा से बर्खास्त औषधि निरीक्षक द्वारा वादी को अकारण प्रताडित करने के संबंध में अखबार मे सूचना प्रकाशित करने के संबंध में दिनांक–09.06.2026 को विभाग में समर्पित आवेदन में किये गए अनुरोध को एतद् द्वारा अस्वीकृत किया जाता है।

7 प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–

(सुरेन्द्र राय)
विशेष कार्य पदाधिकारी,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–15 / औ०–02–मुक०–17 / 2023– 1093(15A) / स्वा०पटना,दिनांक– 30/09/ 2026

प्रतिलिपि : सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : विशेष सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : राज्य औषधि नियंत्रक, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : श्री अवधेश कुमार सिंह, तत्कालीन औषधि निरीक्षक, दरभंगा–01 एव 02 सम्प्रति सेवा से बर्खास्त को उनके वर्तमान पत्ता–संतोषा कॉम्पलेक्स, 305, बंदर बगीचा, पटना–800001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।